



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]
No. 626]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 1995/कर्तिक 18, 1917
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 1995/KARTIKA 18, 1917

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

{विधि कार्य विभाग}

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1995

क्र. जा. 893/अं.—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 §1987 का 39§ की धारा 1 की उप-धारा 3§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 नवम्बर, 1995 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबंध, सिवाय अध्याय III के, प्रवृत्त होंगे ।

[क्र. सं. 68108/89-सिलास]
डा. वी. के. जगवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1995

S.O. 893(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 2670 GI/95 (1)

1987), the Central Government hereby appoints the 9th November, 1995 as the date on which all the provisions of the said Act except Chapter III shall come into force.

[F. No. 6(10)/89-CILAS]

DR. V. K. AGARWAL, Addl. Secy.